# न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
**पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS**

राजस्व अपील सं0 17/2025 (GCMS 2025/33)

| **अपीलांट** | **बनाम** | **रेस्पोडेण्टगण** |
|---|---|---|
| 1. अमरसिंह पुत्र श्री मेघसिंह जाति राजपूत निवासी धौलासर, राजमथाई तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर। | | 1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, फलसूण्ड। |

उपस्थित :

1. श्री कंवराजसिंह राठौड़ अधिवक्ता अपीलांट
2. ना0 तहसीलदार (पैरोकार राज) रेस्पोडेण्ट

**दिनांकः— 09.03.2026**

**—::निर्णय::—**

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बविरूद्ध तहसीलदार, फलसूण्ड द्वारा प्रकरण संख्या 04/2024 अन्तर्गत धारा 91 रा.भू.रा.अ.1956 में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2024**

अपील के संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी राजमथाई द्वारा ग्राम राजमथाई के खसरा संख्या 1160 रकबा 04.2735 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नाडी में 400 वर्गफीट भूमि पर अपीलांट द्वारा पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फलसूण्ड के समक्ष प्रस्तुत की कई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बगैर प्रकरण संख्या 04/2024 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में दिनांक 07.10.2024 को निर्णय पारित कर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर वार्षिक लगान रूपये 1/— का पचास गुणा 50/— रूपये का जुर्माना आरोपित किया। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विधान न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकुल निर्णय पारित कर कानूनी एवं तथ्य संबंधी बड़ी भारी भूल की है। कथित रूप से अतिक्रमण बताई गई भूमि पर अपीलांट का उसके दादा के समय से पुराना कब्जा एवं निर्माण है। उक्त भूमि गांव की आबादी भूमि में आती है जिसकों गलत पैमाईश के आधार पर नाड़ी की भूमि बताया गया है। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया है एवं पैमाईश के समय भी अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही किसी मौतबिर की उपस्थिति में पैमाईश की गई है। अपीलांट के विरूद्ध राजनैतिक एवं द्वेष भाव रखते हुए गलत रूप से पैमाइश की जाकर अपीलांट के कब्जे क निर्माण को अतिक्रमण के जरिये कब्जा बताया गया है। उक्त भूमि गै.मु. नाड़ी वर्णित की गई है जिसके लिये धारा 91(6) एल आर एक्ट की प्रक्रिया निर्धारित है, उक्त प्रक्रिया को अपनाये बिना विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर अपीलांट को सुनवाई और साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर महज हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बिना जॉच किये एक पक्षीय आदेश पारित किया अपास्त योग्य है। अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, फलसूण्ड का आदेश दिनांक 07.10.2024 अपास्त कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड करने का निवेदन किया गया है।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

# न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

**पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS**

राजस्व अपील सं0 17/2025 (GCMS 2025/33)

अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट को उक्त पारित निर्णय की जानकारी होने तथा इसकी नकल प्राप्ति के 30 दिवस के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा अपनी बहस दिनांक 04.02.2026 में विवादग्रस्त भूमि की पुनःपैमाइश करवाई जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, फलसूण्ड से विवादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलांट की उपस्थिति में पुनः पैमाइश करवाई जाकर रिपोर्ट अपेक्षित की गई, जिसके क्रम में तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक, राजमथाई, पटवारी हल्का राजमथाई से अपीलांट की उपस्थिति में विवादग्रस्त भूमि की पुनः पैमाइश करवाई जाकर रिपोर्ट अपने पत्रांकःराजस्व/2025/76 दिनांक 26.02.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई। तहसीलदार, फलसूण्ड के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट के निर्माण से विवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1160 गै.मु. नाडी की भूमि प्रभावित नहीं होना पाया गया है।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस पुनः सुनी गयी। अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विधान न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकुल निर्णय पारित कर कानूनी एवं तथ्य संबंधी बड़ी भारी भूल की है। कथित रूप से अतिक्रमण बताई गई भूमि पर अपीलांट का उसके दादा के समय से पुराना कब्जा एवं निर्माण है। उक्त भूमि गांव की आबादी भूमि में आती है जिसकों गलत पैमाईश के आधार पर नाड़ी की भूमि बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की उपस्थिति में पुनः पैमाइश की गई है जिसमें विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कोई निर्माण नहीं पाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, फलसूण्ड का आदेश दिनांक 07.10.2024 अपास्त करने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेण्ट के द्वारा प्रस्तुत पैमाईश रिपोर्ट के अनुसार विवादग्रस्त भूमि में अपीलांट का निर्माण नहीं होना स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश अपास्त किया जाना न्यायोचित है। अतः **अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार फलसूण्ड को प्रतिप्रेषित (Remand) कर निर्देशित किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि की पुनः पैमाइश संयुक्त टीम का गठन कर की जावें तथा तद्नुसार विवादग्रस्त भूमि के संबंध में नये सिरे से विधिवत् आदेश पारित किये जावें।**

तहसीलदार, फलसूण्ड को निर्देशित किया जाता है कि आलोच्य आदेश में वर्णित विवादग्रस्त भूमि की बिना पैमाईश एवं तथ्यों की जॉच किये बिना अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट किये जाने के संबंध में **दोषी अधिकारी एवं कार्मिकों के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करें।** उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**जिला कलक्टर,**
**जैसलमेर**

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)